फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री विक्रमसिंह विपक्षी : कमलेश कुमार

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या : 105/21

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 08.09.2021 पत्रावली अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा तलबी मय प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का पेश करने पर तलब की गई। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भोजपुरी गोस्वामी द्वारा वकालतनामा मय स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश किया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. पेश कर आपसी राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया। वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का पेश कर आपसी राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात को दौलतसिंह जी ने प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में मुख्तियारनामा से दिनांक 17.12.2020 को पंजीयन करवाया, जिसके तहत् प्रतिवादी सं. 1 ने आराजी नम्बर 2057 रकबा 0.1133 हेक्टेयर भूमि में से 6225/60894 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 18.01.2021 को विक्रय कर दिया गया लेकिन राजस्व अभिलेखों की ऑन लाईन फिडिंग कार्य होने से नामान्तरकरण नहीं हो पाया है दिनांक 29.01.2021 को खातेदार दौलतसिंह जी की मृत्यु हो जाने से इनके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज हो चुका हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा वादी के पक्ष में स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। उभय पक्षकारान द्वारा इस बाबत आपसी राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया हैं। राजीनामा तस्दीक किया गया हैं। अतः उभय पक्षकारान आपसी राजीनामा अनुसार सहमत होने से वादी का वाद आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 2057 रकबा 0.1133 हेक्टेयर भूमि में वादी को 6225/60894 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। (मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:20:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री विक्रमसिंह पिता देवीसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी 124 सिंहाडा तह. गिर्वा।

..................वादी

बनाम

1. श्री कमलेश कुमार पिता स्व. दौलतसिंह महाजन निवासी डबोक तह. मावली।
2. श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व. दौलतसिंह महाजन निवासी डबोक तह. मावली।
3. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी स्व. दौलतसिंह महाजन निवासी डबोक तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 105/21 (वाद) GCMS No. – 2021/208

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 2057 रकबा 0.1133 हेक्टेयर भूमि में वादी को 6225/60894 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.09.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:20:08 IST
Reason: SelfAttested